



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]
No 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1981/PAUSA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central
Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 12 दिसम्बर 1980

सा० का० नि० 25—भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड
(1) तारीख 13 दिसम्बर 1980 के पृष्ठ 1945—17 पर
प्रकाशित भारत सरकार के विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की
अधिसूचना सं० सा० का० नि० 924 तारीख 18 अगस्त
1980 में विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) राज-
भाषा खण्ड (समूह 'क' पद) सर्ती (द्वितीय गणोद्यम) नियम 1980 में
निम्नलिखित शुद्धि की जाती है—

पृष्ठ 1946 पर

(i) स्तम्भ 2 की छोटी पंक्ति में 'हिन्दी तथा सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा
के स्थान पर 'हिन्दी' पढ़े,

पृष्ठ 1917 पर—

(ii) स्तम्भ 1 की पाँचवीं पंक्ति में 'हिन्दी तथा सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा
के स्थान पर 'सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा' पढ़े।

[सं० ए० 12011/7/79-प्रण०-I (वि०/वि०)]

का० वा० अय्यर, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th December, 1980

G.S.R. 25.—In the Ministry of Law, Justice and Com-
pany Affairs (Legislative Department), Official Languages
Wing (Group 'A' Posts) Recruitment (Second Amendment)
Rules, 1980, published with the Notification of the Govern-
ment of India in the Ministry of Law, Justice and Company
Affairs (Legislative Department) No G.S.R. 924, dated the
18th August, 1980, at pages 1947-1948 of the Gazette of
India, Part II-Section 3 Sub-section (i), dated the 13th Sep-
tember, 1980—

at page 1948—

(i) in column 1, in lines 43 and 44, for 'Hindi regional
language concerned', read "Hindi";

(ii) in column 2, in line 26, for "Hindi, regional language
concerned", read "regional language concerned".

[No A 12011/7/79-Adm I(LD)]

K. B. IYER, Dy Secy

(ख) क्रम सं० 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	अथवा पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है य, नहीं	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहताएँ
1	2	3	4	5	6	7	7(क)	8
“26	उपेष्ट अन्वेषक	4	स.धारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अतिथिक वर्गीय	550-25-750- द०रो०-30- 900 रु०	अथन	नागू नहीं होगा	नागू नहीं होगा	नागू नहीं होंगा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यदि कोई ही विहित आयु और शैक्षिक अहताएँ प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिबीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे धेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : आकाशवाणी के ऐसे अन्वेषक और सहायक जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है	समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उपमहानिदेशक (पी) —अध्यक्ष 2. उपमहानिदेशक (ए) —सदस्य 3. श्रोता अनुसंधान निदेशक —सदस्य	हल नियमों के किसी उपबंध को शिथिल/संशोधित करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

[फाइल सं० 12019/1/79-बी (ए)]

New Delhi, the 16th December, 1980

G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group B) posts Recruitment Rules, 1962 :—

(a) between columns 7 and 8 the following column and heading thereto shall be inserted, namely :—

“7(a) Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972”.

(b) after serial No. 25 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7a	7	8
"26.	Senior Investigator	4	General Central Service Group 'B' Non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	by	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12		13	14
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion ;	Investigators and Statistical Assistants in All India Radio with 5 years service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'B' Departmental Promotion Committee 1 Deputy Director General (P)—Chairman 2. Deputy Director General (A)—Member 3. Director Audience Research—Member.	UPSC shall be consulted while amending or relaxing any of the provisions of these rules."

[F. No. 12019/1/78 B(A)]

नई दिल्ली, 17 विमम्बर, 1980

सा० का० वि० 45.—राष्ट्रपित, सचिधान के अनुच्छेद 309 के परनुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, क्रम सं० 71 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित संतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8
"72	पर्यवेक्षक	72	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अति-पिकवर्गीय (अराज-पत्रित)	425-15-500- द०रो०-15- 560-20- 700 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उन	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समसुल्य 2. तकनीकी या अनुसंधान संबंधी दस्तावेजों जैसे सर्वेक्षण रिपोर्ट,

1	2	3	4	5	6	7	8
						से भिन्न जा अन्दमान और निवोवांग द्वीप तथा लक्षदीप में रहने हे) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	प्रथम सूचिया, तकनीकी कारगज-पत्र, रिपोर्टों के अभिव्यास आदि तैयार करने का या तैयार करवाने का लगभग दस वर्ष का अनुभव। विद्युत् से चलने वाला प्रत्युत्पादन मशीना का कार्य साधक ज्ञान।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंता प्राप्ति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिबीक्षा अर्थात् यदि कोई है	की भर्ती की पद्धति/भर्ती या प्राप्ति द्वारा या प्रतियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिपत्तना	प्रार्थना/प्रतियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्राप्ति/प्रतियुक्ति/स्था नान्तरण किया जाएगा			यदि विभागीय प्राप्ति समित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन्-तिन परिस्थितियां हैं मध्य गाक नदरा श्रायाग न परामर्श विचार जाएगा
9	10	11	12	13	14		
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (प्रतियुक्ति सामान्यत तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	प्रतियुक्ति में उच्च श्रेणों लिपिका में से शिष्टोत्तम श्रेणी/दूरदर्शन में श्रान्त अनुसंधान में अपनी-अपनी श्रेणों में वस में वस तीन वर्ष में पांच वर्ष तक का अनुभव है और जिनके पास तकनीकी अनुसंधान दस्तावेज आदि तैयार करने का भी कुछ अनुभव है तथा तकनीकी रूप में चालित प्रत्युत्पादन मशीना का कारगराधक ज्ञान है।	(1) निदेशक श्रान्त अनुसंधान श्रायागवाणा —अध्यक्ष (2) उपनिदेशक श्रान्त अनुसंधान श्रायागवाणा —सदस्य (3) अवर सचिव (योजना श्रायाग) —सदस्य	नागू नहीं होता		

[सं 12019/1/75-सी० (ए०)]
आर० जी० जाशी, अवर सचिव

New Delhi the 17th December, 1980

G.S.R. 45—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964 namely—

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, after serial No 71 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely—

SCHEDULE

S No	Name of post	No of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection posts	Age for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	
1	2	3	4	5	6	7	8	
"72	Supervisor	One	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs 425-15-500-EB-15-560-20-700	Not applicable	35 years	The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	1 Matriculate of recognised University or Board or equivalent 2 About 10 years' experience in assisting or in preparing technical or research documents such as survey reports, bibliographies, technical reports, etc. 3 Working knowledge of electrically operated reproduction machines